न्यायालय बइजलास द्वारा श्री शक्तिसिंह भाटी (**R.A.S.**)सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्र0सं0 100/2019/~~प्रा.पत्र~~/3.9/5 निर्णय दिनांक :- 21/ 8/ 2019

अनवान

1. श्री भंवरसिह पिता बाबुसिंह जाति रावत, आयु बालिग निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री भगवान सिंह पिता बाबुसिंह जाति रावत आयु बालिग निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
3. शीला पुत्री बाबुसिंह आयु बालिग निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
4. श्रीमति मिठु देवी पत्नि बाबुसिंह आयु बालिग निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
5. श्री खुमाण सिंह पिता भुरसिंह आयु बालिग निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
6. श्री मोतीसिंह पिता भुरसिंह आयु बालिग निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
7. श्री नरेन्द्रसिंह पिता हजारी सिंह आयु बालिग निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
8. श्री मति नारायणी देवी पत्नि हजारी सिंह जाति रावत आयु बालिग निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
9. श्री हरी सिंह पिता गोपालसिंह जाति रावत आयु बालिग निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
10. रविन्द्रसिंह पिता गोंपालसिंह आयु 16 वर्ष (नाबालिक) निवासी – सोलकिया की नाडी जरिये वलायता माता कैलाश देवी पत्नि स्व. श्री गोपाल सिंह
11. श्रीमति यसोदा पुत्री स्वा. श्री गोंपालसिंह निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ
12. गीता पुत्री गोंपालसिंह (नाबालिक)संरक्षक माता यसोदा निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ
13. श्रीमति कैलाश देवी पत्नि स्वा. श्री गोपालसिंह निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ

निरन्तर पेज 2 पर

सहायक कलक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द

14. श्रीमति वरदी देवी पत्नि स्वा. भुरसिंह आयु बालिग निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)

वादीगण

बनाम

1. श्री मोहनसिंह विता पुरणसिंह आयु बालिग निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री फतहसिंह पिता पुरणसिंह आयु बालिग निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
3. श्री सोहनसिंह पिता पुरणसिंह आयु बालिग निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
4. श्री पन्नासिंह पिता पुरणसिंह आयु बालिग निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
5. श्रीमति गंगा देवी पत्नि स्वा. पुरणसिंह आयु बालिग निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
6. श्री देवीसिंह पिता गोविन्दसिंह आयु बालिग निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
7. श्री हमीरसिंह पिता उदयसिंह पुरणसिंह आयु बालिग निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
8. मनोहरसिंह पिता हजारी सिंह पुरणसिंह आयु बालिग निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
9. श्रीमान तहसीलदार सा. देवगढ पत्रतिनिधि राजस्थान सरकार

———प्रतिवादीगण

प्रकरण स. 107/2019 रे.वा.

वाद पत्र अनर्तगत धारा 88, 89 ,188 राज टिनेन्सी एक्ट,

सहायक कलेक्टर
देवगढ जिला राजसमन्द

निरन्तर पेज 3 पर

वादीगणो का वाद संक्षेप मे इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम देवगढ के खा. न. 5053/2136 रकबा 25– 11 बीघा स्थित है। उक्त आराजी मे से 4.00 बीगा भुमि प्रतिवादी स. 1 से 7 के पुर्वज गोविन्दसिंह पिता अमरासिंह नि. देवगढ (सोलकिया की नाडी) ने अपने 1/2 हिस्से की भुमि 12.15 बीघा मेसे 4.00 बीघा भुमि जस्सासिंह पिता पांचासिंह जाति रावत नि. सोलकिया की नाडी देवगढ को बिल ऐवज 200 रू दिनांक 14.05.1963 को बेचकर रजिस्ट्री करवा कब्जे केता को सिपुर्द करवा दिया एक्त 4.00 बीघा भुमि पर कब्जा काश्त जस्सासिंह की मृत्यु दिनोक से वादीगण के पुर्वज भुरसिंह पिता भोजसिंह का चला आ रहा है।

उक्त ख. न. 5053/2136 मे से 4.00 बिघा भुमि जो गोविन्दसिंह खातेदर द्वारा केता जस्सासिंह को विकय करदी 47 वर्षो से वादीगण के पुर्वज भुरसिंह व उनके बाद वादीगण एंव प्रतिवादी सं. 8 जो भुरसिंह के वंशज है। उनके कब्जे मे काश्त मे चली आ रही है। वादीगण के पुर्वज भुरसिंह पिता भोजसिंह की मृत्यु पश्चात भोजसिंह की पत्नि जो भुरसिंह की मां ने जस्सासिंह पिता पांचासिंह से पुर्नः विवाह कर लिया । तथा भुरसिंह जो नाबालिक था तथा उसकी देखभाल करने वाला कोई नही होंने से भुरसिह की मां प्रेमि देवी उसे अपने साथ जस्सासिंह के घर ले गई। व उसका लालन पालन जस्सासिंह स्वंय ने किया था उसकी शादी करवाई तथा उसके कोई सन्तान नही होने से जस्सासिंह ने भुरसिंह को पुत्रवत रखा तथा भुरसिंह ने ही आजीवन जस्सासिंह पिता की तरह सेवा की जिससे जस्सासिंह ने अपने खाते की भुमि आ न.5143/2122 रकबा 14.10 बीघा भुरसिंह के पक्ष मे बक्षीस कर दी तथा वादग्रस्त भुमि खा.न. 5053/2136 मे से 4.00 बीघा भुमि को जस्सासिंह से गोविन्दसिंह ने खरीद बाबत् लीखीत में इकरारनामा निष्पादित कर वादी जीवन काल मे ही वादीगण के पुर्वज भुरसिंह को सोपदेने का इकरार कर दिया है। जस्सासिंह के कोई सन्तान नही हुई तथा वादीगण के पुर्वज भुरसिंह ने ही उनकी सेवा की वादीगण के पुर्वज भुरसिंह ने आजीवन जस्सासिंह के परिवार के सदस्य बनकर रहे। तथा जस्सासिंह की मृत्यु उक्त भुमि की रजिस्ट्री करवाने के बाद कुछ समय मे ही हो गई। जिससे वाग्रस्त भुमि वादीगण के पुर्वज भुरसिंह के कब्जे काश्त मे चली आ रही है। तथ इकरार पत्र के द्वारा ही यह भुमि जस्सासिंह द्वारा भुरसिंह जिसमे आजीवन उनकी सेवाकी को देने का किया तथा जस्सासिंह ने अन्य कोई पुत्र गोद नही रखा जिससे जस्सासिंह की सम्पत्ती चल अचल सम्पति कि भुरसिंह ने रखी पर वादीगण के पिता भुरसिंह का ही अधिपत्य रहा। वादग्रस्त आराजी की जस्सासिंह द्वारा

सहायक कलक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

निरन्तर पेज 4

रजिस्ट्री कराने के बाद मृत्यु हो गई।तो विक्रेता गोविन्दसिंह की भी इस दरमियान मुत्यु हो गई जिससे उक्त भुमि का नामान्तर करण. भूल वस नही करवा पाऐ जिससे उक्त भुमि विक्रेता गोविन्दसिंह की मृत्यु के बाद उसके उतराधिकारियो प्रतिवादीगण के नाम खातो मे दर्ज हो गई।वादग्रस्त आ. न. 5053/2136 जो मौजा देवगढ मे स्थित हो 4.00 बीघा है जिसे खातेदार गोविन्दसिंह द्वारा जस्सासिंह को बैची गई तथा जस्सासिंह के लाऔलाद फौत हो जाने से एंव उनकी आजीवन सेवा वादीगण के पुर्वज भुरसिंह द्वारा करने एंव उनके परिवार मे रहने से उनकी यह आराजी भुरसिंह पिता भोजासिंह के कब्जे काश्त बषो से चली आ रही है तथा प्रतिवादीगण के पुर्वज गोविन्दसिंह द्वारा यह भुमि जस्सासिंह को बेचान कर कब्जा सिपुर्द करदेने से प्रतिवादीण का इस भुमि पर कोई कब्जा नही रहा है। नामान्तर करण . नही होने से यह भुमि गोविन्दसिंह विक्रेतागण के वारिसान के नाम दर्ज रह गई किन्तु भुमि पर वर्षो से भुरसिंह व उसके वारीस वादी स. 1 से 11 एंव प्रति वादी स. 8 का लगातार कब्जा काश्त होने से इस भुमि मे खातेदारी अधिकार उत्पंन हो गये है। भुमि के क्रेता जस्सासिंह ने भी इकरार द्वारा यह भुमि भुरसिंह वादी के पुर्वज को देने का वचन किया है। इस भुमि पर वादीगण का एडवर्स पजुशन भी हो गया है। तथा वादीगण को वादग्रस्त आराजी मे खातेदार पर खातेदारी अधिकार हो गया है वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार वादग्रस्त की आराजी की 4.00 बीघा भुमि वादीगण के खाते मे दर्ज कराने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी को मन मे फर्क आजा ने से टालमटोल करते रहे तथा अन्त मे इन्कार कर दिया। जिस पर यह वादकरण उत्पन्न हुआ है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को मय नकल वादपत्र के सम्मन जारी किये गये । प्रत्युतर में प्रतिवादीगण ने कोई जवाब पेश नही किया बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिस पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई है। प्रतिवादी सं 9 ने जवाब पेश किया जो शा.फा. है। वकील वादी ने शहादत में वादी भंवरसिंह एंव भगवानसिंह के गवाह शपथ पत्र पेश किये । दोराने सुनवाई प्रतिवादी संख्या 5 गंगादेवी की मृत्यु हो गई वकील वादी ने मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया । जो मृतक के उतराधिकारी पूर्व से हे, प्रकरण में पक्षकार होने से उन्हे अलग से पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नही है। वकील वादी ने प्रकरण में बहस की वकील वादी ने बहस में तर्क दिया कि ग्राम देवगढ की आराजी नं. 5053/2136 रकबा 4.00 बीघा भुमि जो खातेदार गोविन्दसिंह द्वारा जस्सासिंह को बेची जस्सासिह के लाऔलाद फोत हो जाने से उनका आजीवन सेवा वादीगण के पूर्वज भूरसिंह द्वारा करने तथा उनके परिवार मे रहने से उनका यह आराजी भूरसिंह पिता भोजसिंह के वर्षो से कब्जे काश्त चली आ रही है। प्रतिवादीगण के

2/18

निरन्तर पेज 5 पर

सहायक कलेक्टर

पूर्वज गोविन्दसिंह द्वारा यह भुमि जस्सासिंह को बेचान कर कब्जा सिपूर्द कर देने से प्रतिवादीगण का इस भुमि पर कोई कब्जा नही रहा तथा नाामान्तर करण नही होने से यह भुमि गोविन्दसिंह विकेतागण का वर्षो से कब्जा भूरसिंह व उनके वारिस संख्या 1 से 11 व प्रतिवादी संख्या 8 का निरन्तर रहा है। जिससे भुमि पर वादीगण को खातेदारी अधिकार उदभुत हो गये है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को भुमि उनके खाते कराने हेतु कई बार कहा लेकिन प्रतिवादगण की मंशा में फर्क आ जाने से वे हमेशा टालमटोल करते रहे । अतः वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के खातेशुदा आराजी नम्बर 5053/ 2136 रकबा 25.11 बीघा भुमि की 1/2 हिस्से की भुमि अर्थात 12.15 बीघा में से 4.00 बीघा भुमि वादी संख्या 1 से 14 एवं प्रतिवादी संख्या 8 के खाते दर्ज कराने की घोषणा व इसी आशय की डिकी प्रदान कराई जावे।

हमने वादीगण के वाद बिकाव पत्र, इकरारनामा नकल जमाबन्दी एंव पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेज का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील वादी की बहस पर मन्थन किया। उपरोक्त विवेचनानुशार स्पष्ट हे कि वादग्रस्त भुमि रू 200/– रूपये में कय की गई है लेकिन किसी कारणवश केतागण ने भुमि का नामान्तकरण अपने नाम नही करवाया जिससे वादीग्रस्त भुमि प्रतिवादीगण के पूर्वज के नाम ही चली आई तथा उसकी मृत्यु पश्चात भुमि उसके वारिसान के नाम दर्ज हो गई जबकि वादग्रस्त भुमि का प्रतिफल प्रतिवादीगण के पूर्वजो ने प्राप्त कर लिया था। एसी स्थिती में भुमि पर उनको कोई अधिकार हक हकूक नही रह जाता है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा उनके ग्राम देवगढ के खाता संख्या 1174 खा.नं. 5053/2136 रकबा 25.11 बीघा की 1/2 अर्थात 12.11 बीघा में से 4.00 भुमि वादी संख्या 1 से 14 एवं प्रतिवादी संख्या 8 के खाते दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिकी जारी की जावे । पालना हेतु तहसीलदार देवगढ को लिखा जावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें।

निर्णय आज दिनांक 21.8.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार हो नम्बर से कम की जावे।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

डिगरी व मुकद्दमे अन्तदाई

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी देवगढ

ब इजलासश्री शक्तिसिंह भाटी (R.A.S.)सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ

वादी एंव प्रतिवादीगण का विवरण पिछे अंकित है

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

मुकदमा नं. 100 /2012 रै.वाद

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू ....

.... मिनजनिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम देवगढ के खाता संख्या 1174 खा.नं. 5053/2136 रकबा 25.11 बीघा की 1/2 अर्थात 12.11 बीघा में से 4.00 भुमि वादी संख्या 1 से 14 एवं प्रतिवादी संख्या 8 के खाते दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

नीज .... मुबलिग .... बाबत् ....

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शहर .... फीसदी सालाना आज की तारीख से वसूलयाबी तक .... का अदा करे ।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 21 मास 8 सन् 2019

सहायक कलेक्टर

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

देवगढ जिला – राजसमन्द

मुद्देई	रूपया	पै	मुद्दायला	रूपया	पै0
स्टाम्प अरजी दावा	4.00		स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालातामा	5.00		स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील) रू0		
महनताना वकील) रू0			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफॅरिक		
मुतफॅरिक	42				
मिजान	52.00		मिजान	....	....

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फॅरिकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।

अनवान

1. श्री भंवरसिह पिता बाबुसिंह जाति रावत, आयु बालिग निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री भगवान सिंह पिता बाबुसिंह जाति रावत आयु बालिग निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
3. शीला पुत्री बाबुसिंह आयु बालिग निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
4. श्रीमति मिठु देवी पत्नि बाबुसिंह आयु बालिग निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
5. श्री खुमाण सिंह पिता भुरसिंह आयु बालिग निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
6. श्री मोतीसिंह पिता भुरसिंह आयु बालिग निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
7. श्री नरेन्द्रसिंह पिता हजारी सिंह आयु बालिग निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
8. श्री मति नारायणी देवी पत्नि हजारी सिंह जाति रावत आयु बालिग निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
9. श्री हरी सिंह पिता गोपालसिंह जाति रावत आयु बालिग निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
10. रविन्द्रसिंह पिता गोंपालसिंह आयु 16 वर्ष (नाबालिक) निवासी – सोलकिया की नाडी जरिये वलायता माता कैलाश देवी पत्नि स्व. श्री गोपाल सिंह
11. श्रीमति यसोदा पुत्री स्वा. श्री गोंपालसिंह निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ
12. गीता पुत्री गोंपालसिंह (नाबालिक)संरक्षक माता यसोदा निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ

13–श्रीमति कैलाश देवी पत्नि स्वा. श्री गोपालसिंह निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ

14–श्रीमति वरदी देवी पत्नि स्वा. भुरसिंह आयु बालिग निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)

वादीगण

बनाम

1. श्री मोहनसिंह विता पुरणसिंह आयु बालिग निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला राजसमन्द

निरन्तर पेज 2 पर

2. श्री फतहसिंह पिता पुरणसिंह आयु बालिग निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)

3. श्री सोहनसिंह पिता पुरणसिंह आयु बालिग निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
4. श्री पन्नासिंह पिता पुरणसिंह आयु बालिग निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
5. श्रीमति गंगा देवी पत्नि स्वा. पुरणसिंह आयु बालिग निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
6. श्री देवीसिंह पिता गोविन्दसिंह आयु बालिग निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
7. श्री हमीरसिंह पिता उदयसिंह पुरणसिंह आयु बालिग निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
8. मनोहरसिंह पिता हजारी सिंह पुरणसिंह आयु बालिग निवासी–सोलंकिया की नाडी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
9. श्रीमान तहसीलदार सा. देवगढ पव्रतिनिधि राजस्थान सरकार

प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द